राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील संख्या–2210 / 2006 / पाली

सहायक आयुक्त,
वाणिज्यिक कर विभाग,
सुमेरपुर(पाली) ....अपीलार्थी

बनाम

मैसर्स राधेश्याम सुरेश कुमार,
सुमेरपुर ....प्रत्यर्थी

एकलपीठ
श्री नत्थूराम, सदस्य

उपस्थित :

श्री डी.पी.ओझा
उप राजकीय अभिभाषक ....अपीलार्थी की ओर से
अनुपस्थित(लिखित बहस) ....प्रत्यर्थी की ओर से

निर्णय दिनांक 27 / 04 / 2018

निर्णय

1. अपीलार्थी–राजस्व द्वारा यह अपील उपायुक्त (अपील्स), वाणिज्यिक कर, जोधपुर (जिसे आगे **"अपीलीय अधिकारी"** कहा जायेगा) के द्वारा अपील संख्या 21 / आरएसटी / सुमेर / 2005–06 में पारित निर्णय दिनांक 03.08.2006 के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी है, जिसके द्वारा उन्होंने सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी, वृत्त–सुमेरपुर (जिसे आगे **"कर निर्धारण अधिकारी"** कहा जायेगा) द्वारा पारित आदेश दिनांक 19.12.2006 के अन्तर्गत राजस्थान विक्रय कर अधिनियम,1994 (जिसे आगे **"अधिनियम"** कहा जायेगा) की धारा 29(6) के तहत कर,सरचार्ज व ब्याज को अपास्त किया है।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षिप्त में इस प्रकार हैं कि प्रत्यर्थी व्यवहारी लोहा एवं एम.एस.ऐंगल, बार, सेक्सन आयरन इत्यादि को विक्रेता है। कर निर्धारण अधिकारी द्वारा व्यवहारी के वर्ष 2003–04 में राज्य सरकार की अधिसूचना दिनांक 22.05.2003 के तहत खादी ग्रामोद्योग बोर्ड द्वारा अनुशंसा वाली इकाईयों को केवल बिक्री की छूट दी जाना मानकर उनके द्वारा कच्चे माल की खरीद पर क्रय कर की छूट नही मान कर विक्रेता द्वारा खादी ग्रामोद्योग बोर्ड द्वारा घोषित इकाईयों द्वारा फार्म एस.टी.–17 .पर क्रय किये गये माल पर 3 प्रतिशत से क्रय कर रू0 14,396 / –, सरचार्ज रू0 2,159 / – तथा ब्याज रू0 6,456 / – प्रत्यर्थी व्यवहारी के विरूद्ध आदेश दिनांक 19.12.2005 से मांग कायम की गयी। कर निर्धारण अधिकारी के उक्त आदेश व्यथित होकर, प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा अपील अपीलीय अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करने पर, अपीलीय अधिकारी ने निर्णय दिनांक 03.08.2006 द्वारा प्रत्यर्थी व्यवहारी की अपील को स्वीकार करते हुए, आरोपित मांग को अपास्त कर दिया। अपीलीय अधिकारी के उक्त आदेश से व्यथित होकर, राजस्व द्वारा यह द्वितीय अपील प्रस्तुत की गयी है।

3. अपीलार्थी राजस्व की ओर से विद्वान उप राजकीय अभिभाषक ने सशक्त अधिकारी के आदेश का समर्थन करते हुए, अपीलीय्र अधिकारी के आदेश को अविधिक एवं अनुचित बतलाते हुए राजस्व द्वारा प्रस्तुत अपील को स्वीकार करने का निवेदन किया।

लगातार.......

4. प्रत्यर्थी व्यवहारी बहस के दौरान अनुपस्थित रहा है लेकिन उसके अभिभाषक द्वारा लिखित बहस पूर्व में प्रस्तुत कर दी गयी, जो कि पत्रावली पर उपलब्ध है। लिखित बहस में उन्होने निवेदन किया कि व्यवहारी द्वारा खादी ग्रामोद्योग बोर्ड द्वारा जिन इकाईयों को कर मुक्ति लाभ दिया गया उनको कच्चे माल की खरीद पर भी क्रय कर की छूट राज्य सरकार की अधिसूचना संख्या एफ.4(21)एफडी/ग्रुप–4/78–3 दिनांक 06.03.78 के द्वारा दी गई है जो कि आज भी प्रभावी है। लिखित बहस में उन्होंने आयुक्त महोदय के परिपत्र सं. एफ16(56) टैक्स/सीसीटी/87–750 दिनांक 26.05.95 का भी हवाला दिया। उक्त परिपत्रों द्वारा कच्चे माल की खरीद पर क्रय कर से मुक्त रखा गया है। अतः लिखित बहस में उक्त परिपत्रों को ध्यान में रखते हुए उन्होंने राजस्व द्वारा प्रस्तुत अपील को अस्वीकार करने का निवेदन किया।

5. विद्वान उप राजकीय अभिभाषक की बहस सुनी गयी तथा लिखित बहस का अवलोकन किया एवं पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड का अवलोकन किया गया। रेकार्ड के अवलोकन से स्पष्ट है कि खादी ग्रामोद्योग बोर्ड द्वारा जिन इकाईयों को कर मुक्ति लाभ दिया गया, उनको कच्चे माल की खरीद पर भी क्रय कर की छूट राज्य सरकार की उपरोक्त अधिसूचना दिनांक 06.03.78 के द्वारा दी गई है, जो कि आज भी प्रभावशील है। आयुक्त महोदय के उपरोक्त परिपत्र दिनांक 26.05.95 द्वारा उक्त अधिसूचना प्रभावशील होने से कच्चे माल की खरीद पर क्रय कर से मुक्त रखा गया है। अपीलीय अधिकारी ने उपरोक्त अधिसूचना एवं परिपत्र को मध्यनजर रखते हुए, आरोपित मांग को अपास्त करने में किसी प्रकार की विधिक भूल नहीं की है। अतः अपीलीय अधिकारी के आदेश में किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता प्रतीत नहीं होने से राजस्व द्वारा प्रस्तुत अपील अस्वीकार होने योग्य है।

6. फलतः अपीलार्थी–राजस्व द्वारा प्रस्तुत अपील अस्वीकार की जाती है तथा अपीलीय अधिकारी के आदेश की पुष्टि की जाती है।

निर्णय सुनाया गया।

(नत्थूराम)
सदस्य